

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय से अब तक अचल संपत्ति का विवरण वर्ष (31.12.16)

- 1 अधिकारी का नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है **सुमन गुर्जर, राज्य पुलिस सेवा**
 2 प्रथम नियुक्ति दिनांक/वर्तमान धारित **26.10.1998/ झरि. पुलिस अधीक्षक**
 3 जन्मतिथि **18.03.1973**
 4 वर्तमान वेतन **1,26,800/-** अगली वेतन वृद्धि की तारीख **जुलाई 2018**

उस जिले उपरसंगम तालुका तथा गाम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है | संपत्ति का नाम तथा जार गृह तथा अन्य भवन भूमि | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है

1	2	3	4	5
1. गाम-टिगूबियां रह. फागी जिला-जयपुर राजस्थान	X	कृषि भूमि 12 1/2 बीघा	लगभग 80 लाख रु	श्री शैलेन्द्र सिंह (पति)
2. प्लॉट क्र. Lu-44 विंडसर हिल सिरोल रोड जवाहरियर (मं० प्र०)	प्लॉट क्र. Lu-44	निरंक	लगभग 35 लाख रु	स्वयं
3. गाम-छीगजी रह. - मुहैना जि. - मुहैना	निरंक	कृषि भूमि. 99 हैक्टर में 1/8 का हिस्सा	लगभग 5 लाख रु	स्वयं के नाम पर 1/8 हिस्सा पूर्ण रकबा अरी आराजो एवं चाचीजी के हिस्से की लीनों बच्चों योग्यता, हेमाव शिवम श्री का के संयुक्त नाम पर है।

उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत में: या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा आदेश

6

→ पति श्री शैलेंद्र सिंह को अपने पिता की मृत्यु के पश्चात इलाक़ाधिकार में वर्ष 2002 में प्राप्त हुई। स्व. श्री अरे प्रयाग सिंह वर्ष 2002 में मामानटा इलाक़ा स्वसरा की मकलम पूर्व में ही मुलिन मुख्यालय प्रेषित की जा चुकी है।

→ एसोर्टेक सीपी इंफ़ास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के फुल्टी की अनुमति पत्र क्र. फुल्टी/1/रायसे/3/150/3/19/12 दि. 4/2/12 द्वारा लेबर दि. 1.8.12 को सादित की गई।

→ जे.पि.जी. स्व. श्री कूलाल बहादुर सिंह की 2004 में देहावसाय के पश्चात इलाक़ाधिकार में प्राप्त हुई। जिनकी प्र. अधिकार प्राप्ति विषय के बचने और जानकारी न होने से प्रथम में इल्लेख नहीं किया जा सका।

संपत्ति से वार्षिक आय

7

नहीं

लक्ष्मणान
72000-16
वार्षिक जिनसे
वार्षिक आय
में शामिल कर

आयकर
भुगतान किया
जाना है।
यू.पी. आर.पी.
माना जाय
जिनी कराई (पत्नी)

अधिकार
इलाका की
बोलापति
संबंध है।

अरे जय कोई लाइ
वही किया जाना है

के लिए अपने आकर से
इल्लेख कर रहे।

हस्ताक्षर

सुमन मुखर

नाम

पद

विभाग

अति. प्र. क.

2/10/11